जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
रेफरेंस संख्या -2021/vg/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest गुरुवार, 13 मई 2021

भाग-1

क्या राजस्थान मे विज्ञापनों/विज्ञप्तियों के नाम पर हो रहे घोटालों की फिर परते खुलेंगी?

All India Council for Technical Education
(A STATUTORY BODY OF GOVERNMENT OF INDIA)
7th Floor, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi-110 001
Ph.: 011-23724151-57 Website: www.aicte-india.org

Advt. No. :Approval/02(03)/2011

PUBLIC NOTICE-III

In continuation of Public Notice-II, Advt. No. Approval/01(2)/2011 issued for the said purpose for session 2011-12 for Technical Institutions (Degree/Diploma/PGDM) new and existing, it is hereby notified that the last date for acceptance of on-line application on the web-portal of AICTE at www.aicte-india.org is extended up to 15th March, 2011. All other

Publish on 10/05/2021

क्या होते है सरकारी विज्ञापन?

डिस्प्ले और क्लासिफाईड विज्ञापन;आइए सबसे पहले जान लेते है कि सरकारी विज्ञापन कितने प्रकार के होते है|जब हम सुबह का अखबार देखते है तो प्राय:हमे अखबार के प्रमुख पृष्ठ या अन्य पेजों पर फूल पेज या छोटे साइज के विज्ञापन देखने को मिलते है जो या तो किसी योजना की जानकारी दे रहे होते है,किसी समस्या/अपराध/महामारी से सावचेत कर रहे होते है या फिर कोई संदेश दे रहे होते है|इन्हे सरकारी भाषा मे डिस्प्ले विज्ञापन कहते है|इन डिस्प्ले विज्ञापनों के अलावा कई छोटे बड़े कॉलम मे विभिन्न विभागों की विज्ञप्तियाँ/निविदाएँ प्रकाशित होती है जिन्हे क्लासिफाईड विज्ञापन कहा जाता है|सरकार ने विभिन्न छोटे-बड़े समाचार पत्रों मे इन दोनों प्रकार के विज्ञापनों के प्रकाशन की दर तय कर रखी है,राज्य सरकार द्वारा तय दर को DPR रेट एवं केंद्र सरकार द्वारा तय की गयी दर को DAVP रेट कहा जाता है|

राजस्थान मे विज्ञापनों मे घोटालों के दो मामले हो चुके है उजागर

यों तो हमारे प्रदेश मे घोटालों की लंबी फेरस्त है,लेकिन आज हम समाचार पत्र-पत्रिकाओं,टीवी,रेडियों,सोशल मीडिया,होर्डिंग,बसो,आदि मे विज्ञापनों के नाम पर हो रहे घोटालों की बात कर रहे है,आप आए दिन सरकारी ठेकों मे हो रहे भ्रष्टाचार के किस्से सुनते होंगे,सरकारी ठेके प्राय दो तरीके के होते है पहला वस्तुओं की आपूर्ति दूसरा सेवाओं की आपूर्ति,इन दोनों ठेकों मे प्राय:क्वालिटी और क्वान्टिटी के घपले सामने आते है|लेकिन सरकारी विज्ञापनों के जिस घोटाले की हम बात कर रहे है उनमे क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों का दूर-दूर तक कोई नाम नहीं होता क्यूंकि सरकारी विज्ञापनों का भुगतान प्राप्त करने के लिए केवल छपे हुए विज्ञापन की प्रति के साथ बिल प्रस्तुत करना होता है|सरकारी ठेकों मे जहां रिश्वत का प्रतिशत कुल ठेके का 20 से 30 प्रतिशत होता है वहीं सरकारी विज्ञापनों मे रिश्वत का प्रतिशत 40 से 50 प्रतिशत होता है|

सूचना एवं जन संपर्क विभाग का 500 करोड़ का क्रियोंस घोटाला

वर्ष 2014 मे हुए 500 करोड़ के क्रियोंस घोटाले ने सबको चौंका दिया था|अजय चौपड़ा की क्रियोंस एड कंपनी राजस्थान सूचना व जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन प्रदाता एजेंसी राजस्थान संवाद से अनुबंधित थी। क्रियोंस ने नियम-कायदों को दरकिनार करके करोड़ों रुपए के विज्ञापन उन अखबारों व मैगजीनों को भी दे दिए, जो अस्तित्व में नहीं थी और ना ही प्रसार संख्या थी। कुछ मैगजीन तो विज्ञापनों के लिए अप्रूव्ड भी नहीं थी। बड़े अखबारों को भी विज्ञापन देने में नियमों की अवहेलना की गई। एसीबी ने इस मामले में क्रियोंस के साथ सूचना व जनसंपर्क विभाग के अफसरों को भी जांच में दोषी माना,हालांकि चालान कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ किया। तकरीबन 500 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान का अंदाजा लगाया गया था।

चिकित्सा विभाग का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(NRHM)घोटाला

नीरज के पवन 13 जनवरी, 2014 से 12 फरवरी 2016 तक नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल डायरेक्टर और मेडिकल हेल्थ के संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत रहे थे|28 अक्टूबर 2015 को आईईसी में फ्लैक्स व अन्य सामग्री प्रिंटिंग कर सप्लाई करने वाले एक कारोबारी फर्म के मालिक ने नीरज के पवन के खिलाफ एक टेंडर को पास करने के लिए डेढ़ करोड़ की रिश्वत मांगने के लिए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी|शिकायत थी कि दलाल अजीत सोनी अपनी फर्म मेपल प्रोडक्शन के जरिए विभाग में काम करवाने के ठेके लेता है|लगभग सात महीने बाद 17 मई 2016 को एसीबी ने मामला दर्ज किया|अगले दिन 18 मई 2016 को एसीबी ने कुल 19 जगह छापेमारी की जिसमें 18 ठिकाने जयपुर और 1 भरतपुर में था और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया|30 मई को नीरज के. पवन और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया|इस छापेमारी के बाद एसीबी ने नीरज के घर से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की| इसके अलावा एक होंडा सिटी कार जो कथित रूप से दलाल अजीत सोनी के किसी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड थी, एक स्कूटी, 4100 यूएस डॉलर, लाखों रुपये के गहने बरामद किए थे|कहा यह भी गया कि नीरज ने दलाल के जरिए नियमित रूप से कैश ही नहीं चैक से भी रिश्वत की राशि ली थी|नीरज की गिरफ्तारी के बाद उनकी पोस्टिंग वाली अन्य जगहों से बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई|एसीबी ने नीरज और अन्य चार के खिलाफ 7,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की|

सरकार ने बना रखी है विज्ञापन नीति-2001 और राजस्थान विज्ञापन नियम 2001

ऐसा नहीं है कि सरकार ने विभागों को विज्ञापन देने के लिए छूट दे रखी हो,राज्य मे बाकायदा विज्ञापन नीति-2001 और राजस्थान विज्ञापन नियम 2001 बनी हुई है जिसके तहत ही समाचार पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जाते है|लेकिन समय के साथ-साथ हमारे महान जन सेवकों द्वारा इस नीति और नियम के भी तोड़ निकाल कर मनमर्जी से अपने चहेतों को विज्ञापनों की बंदरबाँट की जा रही है|कई विभागों द्वारा तो ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जा रहे है जिनकी ना तो प्रसार संख्या है और ना ही कोई अस्तित्व|कई ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जा रहे है जो सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए मान्यता प्राप्त ही नहीं है|कई मामलों मे राज्य से बाहर के ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जा रहे है जो कि नीति और नियम के तहत योग्य ही नहीं है|

विज्ञापन नियम 2001 के नियम 11(5) का हो रहा दुरुपयोग

*"राजस्थान विज्ञापन नियम 2001 के नियम 11(5) के अनुसार राज्य सरकार किसी भी समाचार पत्र पत्रिका,नियतकालिक या अन्य प्रकाशन को,जो चाहे राज्य के भीतर या बाहर प्रकाशित हो,उन दरों पर जो उचित समझी जाए,कोई वर्गीकृत या सजावटी विज्ञापन देने की शक्तियाँ होगी,यदि ऐसा विज्ञापन आवश्यक समझा जाए|"*अब देखने मे आ रहा है की कई विभाग इस नियम का दुरुपयोग कर अपने चहेते अयोग्य लोगो को विज्ञापन जारी कर रहे है जबकि उन्हे राज्य सरकार से इस बाबत कोई अनुमति नहीं दी गयी है|इस नियम की आड़ आड़ लेकर अब गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्र-पत्रिकाओं NGO,सोशल मीडिया एजेंसियों,टीवी,एफ़एम,ऑनलाइन वैबसाइट को भी मन माफिक विज्ञापन बांटे जा रहे है|

राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अलावा एक और दर "कमर्शियल दर" है चलन मे

कई समाचार पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते है इनको दी जाने वाली विज्ञापन दर DPR रेट कहलाती है जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर DAVP रेट कहलाती है परंतु जैसा कि राजस्थान विज्ञापन नियम 2001 के नियम 11(5) मे बताया गया है कि **"उन दरों पर जो उचित समझी जाए"** को आधार बना कर एक नयी रेट प्रचलन मे है जिसे कमर्शियल रेट कहा जाता है यह रेट DPR रेट और DAVP रेट से कहीं अधिक होती है,इसे उन्ही लोगो को दी जाती है जो मंत्रीजी,अफसरों और नेताओं के खास चहेते होते है या फिर जो अधिक कमीशन देते है|

सूचना एवं जन संपर्क विभाग के PRO फैला रहे है यह गंदगी

आपने गुरु नानक देव की एक कहानी तो सुनी होगी जिसमे वह अच्छे लोगो को उजड़ जाने और बुरे लोगो को एक ही जगह बसने का आशीर्वाद देते है,उनका तर्क था कि अच्छे लोग अगर नयी जगहों पर जाएंगे तो वह अच्छाई ही फैलाएँगे यदि बुरे लोग नयी जगह जाएंगे तो बुराई ही फैलाएँगे|यदि कहानी शायद सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अधिकारियों पर लागू हो रही है|सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कई अधिकारियों के नाम विभिन्न घोटालों मे उछल चुके है,कई एसीबी के अतिथि गृह

की रोटियाँ भी खा कर आ चुके है|अब चूंकि यही लोग अन्य विभागों मे प्रतिनियुक्ति पर जाते है लिहाजा वहाँ पर भी भ्रष्टाचार का नासूर पनपने के लिए छोड़ देते है और अपने चेले-चपाटों के साथ वहाँ माल सूँतने लग जाते है|

जवाब मांगते सवाल?

- चिकित्सा विभाग,सूचना एवं जन संपर्क विभाग,राजस्थान हाउसिंग बोर्ड,प्रदूषण विभाग,जेडीए,रिको, RMSCI,RSGSM,WSSO,RSWC,RSRDC और अन्य सरकारी विभाग हर वर्ष सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के तहत उनके द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों का ब्यौरा सार्वजनिक क्यूँ नहीं करते?
- कहाँ है क्रियोंस और NRHM घोटाले के मुख्य घोटालेबाज?कहीं कंपनियों के नाम बदल कर तो यह कोई नया घोटाला नहीं कर रहे?
- क्रियोंस और NRHM घोटाले मे लिप्त सरकारी अधिकारी अब किन किन पदो पर कहाँ कहाँ तैनात है?
- ऐसे कौनसे अखबार है जिनकी ना तो प्रसार संख्या है और ना ही अस्तित्व,जिन्हे आज भी विज्ञापन दिये जा रहे है?
- क्या है कमर्शियल दर?और किन किन चहेतों को कमर्शियल दर से विज्ञापन देकर उपकृत किया जा रहा है?
- ऐसे कौनसे राज्य के बाहर के समाचारपत्र पत्रिका है,जिन्हे नियम विरुद्ध विज्ञापन दिये जा रहे है?
- बड़े समाचार पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन देने मे किस प्रकार नियमों की अवहेलना की जा रही है?
- ऐसे कौनसे समाचार पत्र है जो राज्य और केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद,सरकारी विभागों से विज्ञापन प्राप्त कर रहे है?
- किन किन विभागों द्वारा विज्ञापन नियम 2001 के नियम 11(5) की आड़ लेकर किन किन संस्थाओं/पत्र-पत्रिकाओं आदि को 5-5 लाख के विज्ञापन दिये जा रहे है?
- होर्डिंग,बोर्ड,डिस्प्ले आइटमों के नाम पर क्या-क्या धांधलियाँ की जा रही है?कितने के ऑर्डर दिये जाते है,छपते कितने है ,लगते कितने है?
- कोरोना काल मे आपदा को अवसर मानते हुए क्या क्या घोटाले किए जा रहे है?क्या यह घोटाले समय रहते उजागर हो पाएंगे?